समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

जेनरेटर आदि के लिए निविदा

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के संचालन के क्रम में गठित विभिन्न कोषांगो में पुलिस बल के आवासन स्थल, मतगणना आदि में उपयोग हेतु जेनरेटर आदि भाडे पर आपूर्ति करने हेतु इच्छुक फर्मो से इस कार्यालय के ज्ञापांक 934 /नि, दिनांक 22.08.2015 के द्वारा दिनांक 04.09.2015 के अपराह्न 3:00 बजे तक सक्षम फर्मो से निविदा आमंत्रित की गयी थी। उक्त निर्धारित अवधि में मात्र दो निविदा प्राप्त होने के कारण जेनरेटर आदि आपूर्ति के लिए दिनांक 11.09.2015 के अपराह्न 3:00 बजे तक निविदा का अवधि विस्तार किया जाता है। निविदा से संबंधित सभी सामान्य शर्ते पूर्ववतः यथावत रहेगी। निविदा सम्बन्धी विशेष जानकारी जहानाबाद जिला के वेवसाईट www.jehanabad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

4.9.15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 1124/निर्वा० दिनांक 04/9/15

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य में लोकप्रिय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन जिले के वेवसाईट पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.9.15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

समाहरणालय, जहानाबाद
(जिला निर्वाचन कार्यालय)
जेनरेटर आदि के लिए निविदा

विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के संचालन के क्रम में गठित विभिन्न कोषांगो, पुलिस बल के आवासन स्थल, मतगणना आदि में उपयोग हेतु जेनरेटर आदि भाड़े पर लिया जाना है। वैसे निबंधित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं सक्षम फर्म जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर विभिन्न स्थलो पर स्थापित भाड़े पर जेनरेटर आपूर्ति आदेशानुसार करने हेतु इच्छुक है, वें दिनांक 4.09.2015 के अपराह्न 3:00 (तीन) बजे तक मुहर बन्द लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद द्वारा निर्गत निविदा प्रपत्र में अपनी निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद में दे सकते है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा उसी दिन अपराह्न 04:00 (चार) बजें जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता फर्म के मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि चाहे तो उपस्थित रह सकते है। निविदा द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की गई है। निविदादाता फर्मो को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में समर्पित करना होगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। वैसे फर्म जो तकनीकी निविदा में सफल होगे उन्ही फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा के साथ निविदादाता को 10,000/–(दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद के पदनाम से देय हो, संलग्न करना होगा। निविदा का प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद से 100.00 (सौ) रूपये भुगतान कर कार्यालय अवधि में दिनांक 04.09.2015 के अपराह्न 02:00 (दो) बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा सम्बन्धी विशेष जानकारी जहानाबाद जिला के वेवसाईट www.jehanabad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

22/8/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 934 /निर्वा० दिनांक 22.8.2015

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य में लोकप्रिय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन जिले के वेवसाईट पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/8/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

समाहरणालय, जहानाबाद
(जिला निर्वाचन शाखा)

जेनरेटर संबंधी निविदा

निविदा खोलने की तिथि– 04.09.2015 अपराह्न 4:00 बजे

निविदा प्रपत्र

प्रपत्र मूल्य – 100.00 (एक सौ रूपये) (निविदा प्रपत्र सहित)

(क) सामान्य शर्त :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बॉटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधित करने के हेतु नियमानुसार प्राथंमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी।
5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. निविदाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, से निर्गत होना चाहिए जो छः महीना के भीतर का हो।
7. निविदाताओं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
8. भुगतान के समय भुगतेय राशि से देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर कर ली जायेगी।
9. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।
10. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला निर्वाचन कार्यालय में/कार्य स्थल पर निर्धारित समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा इसके लिंए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।
11. दर सामान्य रहने की स्थिति में निर्वाचन कार्य में अनुभव को आधार बनाते हुए प्राथमिकता दिया जायेगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. फर्म को वैट नम्बर तथा पैन नम्बर का विवरण देना होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पक्ष में 10,000/–(दस हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
4. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं है तथा किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं है।
5. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की जाएगी।
6. छः माह के भीतर का चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तेः–

1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से जिला मुख्यालय जहानाबाद में करना होगा।
2. कार्यालय द्वारा क्रय किए गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
3. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।